उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या– /2014/03(120)/ xxvii(8)/2007
दिनांक::देहरादून::14 अगस्त, 2014

अधिसूचना

चूंकि सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, ''उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008''(अधिनियम सं0 13 वर्ष 2008) की धारा 4 की उपधारा(1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टि पर अनूसूची के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्टि दर पर कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा–

अनुसूची

क0सं0	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
1.	बाहरी प्रदेशों से आने वाली चीनी	माल के मूल्य का 2.5 प्रतिशत

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–767/2014/03(120)/ xxvii(8)/2007,तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2.निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रजी प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्व उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6–गार्ड फाईल।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।